

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर


आदेश

क्रमांक 208 / गोपनीय / 2023
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक 02 मार्च, 2023

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री दिव्या विश्वकर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, उमरिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), उमरिया के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में, उनकी शैक्षणिक योग्यता में LL.M. की उपाधि अंकित करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान करता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक 209 / गोपनीय / 2023
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक 02 मार्च, 2023

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उनके ज्ञापन क्रमांक 245/दो-12-2/2009, दिनांक 25-02-2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 सुश्री दिव्या विश्वकर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, उमरिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), उमरिया को उनके आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 एस.जे.ए., गोपनीय शाखा/ सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल